रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2002.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 22 अक्तूबर, 2002/30 आश्विन, 1924

हिमाचल प्रदेश सरकार

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 8 अक्तूबर, 2002

संख्या एल०एस०जी०-डी(1)3/96.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का 13) की धारा 13 की उप-धारा (4) और धारा 23 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों

2481-राजपत्र/2002-22-10-2002—1,408. (2027) मूल्य : 1 रुपया

का प्रयोग करते हुए नगरपालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों तथा सदस्यों के मानदेय एवं भत्ते 1-10-2002 से निम्नलिखित दरों से बढ़ाने/प्रदान करने के महर्ष आदेश देते हैं :—

पद	मानदेय प्रतिमाह	भत्ते प्रतिमाह
1. नगरपालिका परिषदें :		
(1) अध्यक्ष	रु0 1250/-	—
(2) उपाध्यक्ष	रु0 1000/-	—
(3) सदस्य	—	रु0 400/- रु0 200/- की जगह।
2. नगर पंचायतें :		
(1) अध्यक्ष	रु0 750/-	—
(2) उपाध्यक्ष	रु0 650/-	—
(3) सदस्य	—	रुपए 100/- प्रति बैठक अधिक से अधिक चार बैठकें प्रतिमाह रुपए 50/- प्रति बैठक की जगह।

(2) इस में इस विभाग के अधिसूचना संख्या एल0एस0जी0-डी (1) 3/96, दिनांक 24-7-1997 का अतिक्रमण किया जाता है।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
सचिव।

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 8th October, 2002

No. LSG-D(1)3/96.—In exercise of the powers vested in him under sub-section (4) of section 13 and sub-section (3) of section 23 of Himachal Pradesh Municipal Act. 1994 (Act No. 13 of 1994) the Governor, Himachal Pradesh is pleased to enhance/fix the rates of

Honorarium and allowances to the Presidents/Vice Presidents and members of the Municipal Councils and Nagar Panchayts in Himachal Pradesh with effect from 1-10-2002 :—

Designation	Honorarium allowed per month	Allowances allowed per month
1. Municipal Councils :		
Presidents	Rs. 1250/-	—
Vice-Presidents	Rs. 1000/-	—
Members	—	Rs. 400/- instead of Rs. 200/-.
2. Nagar Panchayats :		
Presidents	Rs. 750/-	—
Vice-Presidents	Rs. 650/-	—
Members	—	Rs. 100/- per sitting fee subject to a maximum of four sittings in a month instead of Rs. 50/- per sitting.

This supersedes the earlier notification No. LSG-D (1)3/96, dated 24-7-1997.

By order,

Sd/-
Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित